न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 939/तीन/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 29-02-2013- पारित - आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर- प्रकरण कमांक 152/11-12 अपील

मुकेश पुत्र कपूरा जाटव
ग्राम संगेश्वर, तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूध्द

1- लखनलाल पुत्र भोगीराम जाटव,
निवासी ग्राम संगेश्वर तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी
3- लखन पुत्र फुल्लाराम धोवी
निवासी ग्राम पचावली
तहसील कोला जिला शिवपुरी ---अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक एस0पी0धाकड़
अनावेदक 1 के अभिभाषक श्री आशीष सारस्वत
अनावेदक 2 के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र गर्ग

आदेश

(आज दिनांक 11-4-2014 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 152/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-02-2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार कोलारस को प्रार्थना पत्र दिनांक 12-3-12 प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम संगेश्वर के कोटवार

की मृत्यु हो चुकी है एंव ग्राम का निवासी होने एंव ग्राम पंचायत पचावली व्दारा नियुक्ति की अनुसॅशा करने के आधार पर रिक्त कोटवार पर नियुक्ति प्रदान की जावे। तहंसीलदार ने प्रकरण कमांक 2/11-12/अ-56 पंजीबद्व किया एंव अंतरिम आदेश दिनांक 12-3-12 से हलका पटवारी से रिपोर्ट मंगाई। दिनांक 14-3-12 को हलका पटवारी व्दारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि दिनांक 9-3-12 को ग्राम संगेश्वर के पटवारी की मृत्यु हो गई है और वह ग्राम संगेश्वर के बजाय ग्राम पचावली में रहता था। पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार कोलारस ने आदेश दिनांक 15-3-12 पारित किया तथा ग्रामीणों एंव सरपंच ग्राम पंचायत पचावली के पंचनामे एंव अन्य आधारों पर आवेदक की नियुक्ति अस्थाईरूप से कोटवार पद पर कर दी।

तहसीलदार के उक्तादेश के विरूद्व अनावेदक कमांक ने अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील कमांक 50/11-12 प्रस्तुत की। इसी प्रकार अनावेदक क-2 ने अपील कमांक 52/11-12 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने दोनों अपील प्रकरणों में संयुक्त पारित आदेश दिनांक 27-6-12 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 15.3.12 निरस्त किया एंव दोनों अपील स्वीकार कर प्रकरण नये सिरे से कोटवार की नियुक्ति हेतु वापिस किया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में आवेदक व्दारा अपील करने पर प्रकरण कमांक 152/11-12 में पारित आदेश दिनांक 19-02-2013 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ग्राम संगेश्वर का रहने वाला है अर्थात जिस ग्राम के लिये कोटवार का पद श्रृजित है आवेदक उसी ग्राम का निवासी है,

जबकि अनावेदक कमांक 2 ग्राम पचावली का रहने वाला है। अनावेदक कमांक–1 लखनलाल स्वयं को मृतक कोटवार फुल्ला धोवी का पुत्र बताता है एंव ग्राम संगेश्वर का निवासी होना अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो में बताया है, जबकि तहसील न्यायालय के प्रकरण में पटवारी हलका नंबर 57 व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में फुल्ला धोवी को ग्राम संगेश्वर में निवास न करने एंव ग्राम पचावली में निवास करना अंकित किया है। तहसील न्यायालय के प्रकरण में ग्रामीणों व्दारा लखनलाल के संबंध में पंचनामा में इस प्रकार लिखा गया है –

" हम समस्त ग्रामवासिन ग्राम संगेश्वरवासियों के हस्ताक्षकर्ताओं ने कि लखन पुत्र फुल्ला धोवी ग्राम संगेश्वर में कुछ दिनों से रहने लगा है तथा वह कैलाश दांगी के मकान में रहता है। "

अनावेदक कमांक–1 ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिनांक 10–4–12 प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का संदर्भ देते हुये स्वयं को कोटवार पर नियुक्ति की मांग की है जिसमें पता इस प्रकार लिखा है –

" लखन पुत्र स्व. श्री फुल्लाराम धोवी नि0ग्राम पचावली "हॉल नि. ग्राम संगेश्वर"

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 230 में दिये गये कोटवारी नियमों के नियम 8 में कोटवार ग्राम निवासी होना आवश्यक है क्योंकि उसे ग्राम में रहकर कोटवारी पद के कार्य करना होते हैं यदि किसी कोटवार के प्रभार में एक से अधिक ग्राम हैं तब तहसीलदार व्दारा आदेशित विशिष्ट ग्राम में वह निवास करेगा। स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ग्राम संगेश्वर के स्थायी निवासी नहीं है और वह ग्राम संगेश्वर के कोटवार पद की उम्मीदवारी हेतु अनर्ह हैं, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी कोलारस एंव आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने इस पर गौर न करने की त्रृटि की है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के अपील प्रकरण कमांक 50/11–12 के अवलोकन पर पाया गया कि जब अनावेदक कमांक–1 तहसील न्यायालय में कोटवार नियुक्ति के प्रकरण में पक्षकार नहीं था, पक्षकार बनाये जाने हेतु अपील

मेमो के साथ उसके व्दारा हितबद्व पक्षकार बनाये जाने वावत् आवेदन भी नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अपील श्रवण की है इसी प्रकार अनावेदक कमांक 2 व्दारा प्रस्तुत अपील कमांक 52/11—12 में इस अपीलकर्ता ने भी हितबद्व पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन नहीं दिया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा—44 — अपील का हक — ऐसे व्यक्ति को अपील का हक प्राप्त नहीं , जो विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा—44 — दुखी पक्षकार को बताना होगा कि वह आदेश से किस प्रकार दुखी है और उसके हित पर आदेश से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शपथपत्र भी देना होगा।

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दोनों अपील प्रकरणों के अपीलकर्ता (अनावेदक क—1 एंव अनावेदक कमांक—2) ने हितबद्व पक्षकार होने का आवेदन एंव शपथ पत्र नहीं दिया एंव अनावेदक कमांक—2 ने अपील प्रस्तुत करने का अनुमति का भी आवेदन नहीं दिया है, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपील श्रवण करने में भूल की है।

5/ तहसीलदार के प्रकरण में आवेदक व्दारा रिक्त कोटवार पद हेतु दिये गये आवेदन के साथ सरपंच ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य एंव अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा दिया है जिसमें आवेदक के कोटवार पद पर नियुक्ति की अनुसेंशा है तहसीलदार व्दारा प्रारंभिक जांच उपरांत आवेदक को कोटवार के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान की है । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 15—3—12 को निरस्त करने के लिये आधार यह लिया है कि अस्थाई कोटवार नियुक्ति के पूर्व उसके संबंध में थाने से चाल—चलन का प्रमाणीकरण नहीं लिया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा—230 — अस्थाई कोटवार की नियुक्ति — पुलिस से राय लेना आवश्यक नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा—230 — अस्थाई कोटवार की नियुक्ति की अधिकारिता तहसीलदार को है प्रायः उसके आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

किन्तु अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस ने एंव आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 152/11—12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19—02—2013 एंव अनुविभागीय अधिकारी कोलारस द्वारा अपील कमांक 50/11—12 एंव अपील कमांक 52/11—12 में संयुक्त पारित आदेश दिनांक 27—6—12 त्रृटिपूर्ण होने से निरसत किये जाते हैं। फलतः तहसीलदार कोलारस व्दारा प्रकरण कमांक 2/11—12/अ-56 में पारित आदेश दिनांक 15—3—12 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर